

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक की अनुपालना में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्यों उमावि एवं समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में (कॉलम संख्या 5 में उल्लेखितानुसार) प्रधानाचार्य —उमावि एवं समकक्ष के पद पर एतद द्वारा किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक	कहां से	जिला	कहां को	जिला	विवरण
1	2	3	4	5	6	
1	MANJU YADAV	GOVT. SR. SEC. SCH. NASIRDA	TONK	GOVT GIRLS SEN.SEC. ADARSH NGR (W.E.F 01-10-18)	Jaipur	
2	MAHAVEER SINGH RATHORE	G. HR. SEC.S. LODIYANA MASUDA	AJMER	GOVT ADRASH SR.SEC. ANOPPURA, JALSU	jaipur	
3	SANJU NEHRA	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL KOLIYA	NAGAU	GOVT. SR. SEC.SCHOOL, TONK CHHILARI, NAWALGARH	jhunjhun	
4	DILEEP KUMAR SHARMA	GOVT.GIRLS SEN SEC SCH DAG	JHALAWAR	GOVT ADARSH SR.SEC. BHATTO KE GALI JALSU (W.E.F 01-10-18)	JAIPUR	
5	ROOPAM LAXMI	GOVT HR.SEC. SCH. ANWALHERA	Chittaurgarh	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL CHEEND JAISINGHPURA	Alwar	
6	KISHAN SINGH MEHRA	GOVERNMENT AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL BABRA	PALI	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL BHATUND	PALI	TA/DA
7	Nand Lal Singh Jodha	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL BHATUND	PALI	GOVERNMENT AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL BABRA	PALI	

उक्त कार्मिक दिनांक 27.09.18 तक/प्रभावी तिथि तक नव पदस्थापित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अतिरिक्त कॉलम संख्या-07 में टीए/डीए का अंकन किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। उपरोक्त कार्मिकों में यदि कोई कार्मिक निर्वाचन विभाग के आदेशों की अनुपालना में मतदाता पुनरीक्षण कार्य अन्तर्गत अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन कार्मिकों की कार्यमुक्ति दिनांक 27.09.2018 के पश्चात् रहेगी। आरवीआरईएस के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे संस्था प्रधानों को कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। यदि किसी संस्था प्रधान का पदस्थापन माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त / विधवा/ दिव्यांग के विरुद्ध हुआ है तो उक्त आदेश संबंधित कार्मिकों की हद तक अप्रभावी रहेगा।

(नथमल डिडेल)

I.A.S.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक: शिविरा/ मा/ संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक:- 20.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 4 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा —प्रथम/द्वितीय
- 6 प्रभारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ को कार्यमुक्ति की कार्यवाही हेतु
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य
- 8 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))